कार्यालय जिला परिषद, झालावाड़

क्रमांक / जिपझा / रात्रि–चौपाल / 2017 / 828 दिनांक : 10 जुलाई, 2017

आदेश

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(8) प्रसु / टाईम्स / 2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 तथा इस कार्यालय के कमांकः 215–245 पीजी / निरीक्षण / 2015 दिनांक 30.01.2015 एवं आदेश कमांक 495–496 पीजी / निरीक्षण / 2015 दिनांक 28.05.2015 के क्रम में आम जन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के माह अगस्त, 2017 में **दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई** एवं **रात्रि चौपाल** का कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा :--

दिनांक	नाम उपखण्ड	नाम ग्राम पंचायत व पंचायत समिति	दौरा / निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
01.08.2017	झालावाड़	ग्रा.पं. तीतरवासा पं.स. झालरापाटन	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई
04.08.2017	खानपुर	ग्रा.पं. कंवरपुरा मण्ड पं.स. खानपुर	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल
08.08.2017	पिडावा	ग्रा.पं. चछलाव पं.स. सुनेल	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई
11.08.2017	अकलेरा	ग्रा.पं. गोपालपुरा पं.स. अकलेरा	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई, रात्रि चौपाल
18.08.2017	मनोहरथाना	ग्रा.पं. खेरखेडा पं.स. मनोहरथााना	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई, रात्रि चौपाल
22.08.2017	भवानीमंडी	ग्रा.पं. खोखरियाखुर्द पं.स. भवानीमंडी	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई
25.08.2017	गंगधार	ग्रा.पं. धतुरिया पं.स. डग	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई, रात्रि चौपाल
29.08.2017	झालावाड़	ग्रा.पं. खेरिया पं.स. बकानी	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई

- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल में दिन में प्रातः 10.00 बजे से ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया जायेगा तत्पश्चात सांय 7.00 बजे से प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि चौपाल प्रारंभ की जायेगी। प्रत्येक मंगलवार को निरीक्षण एवं जनसुनवाई में प्रातः 10.00 बजे से निरीक्षण एवं दोपहर 02.00 बजे से जनसुनवाई प्रारंभ की जायेगी।
- राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर डी.डी.जी. 1 से डी.डी.जी. 7 तक के प्रपत्र व **जनसुनवाई**, निरीक्षण, दौरे, रात्रि चौपाल ऑनलाईन उपलब्ध करवा दिये गये है। सम्बंधित Adopters अधिकारी उक्त प्रपत्रों को जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे के पश्चात उसी दिन ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्पूर्ण रात्रि चौपाल / जनसुनवाई कार्यकम के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे तथा सहायक प्रभारी संबंधित विकास अधिकारी होंगे।
- उपखण्ड अधिकारी अपने स्तर से संबंधित जनप्रतिनिधिगणों को चौपाल में उपस्थित होने हेतु निवेदन करेंगे।
- रात्रि चोपाल / जनसुनवाई में निम्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी / ब्लाक स्तरीय अधिकारी (जिला स्तरीय अधिकारी की अनुपस्थिति में) प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर मौके पर पंचायत की समस्त विभागीय योजनाओं के कियान्वयन का निरीक्षण व समस्याओं का समाधान करेंगे तथा लापरवाह अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र भरकर रात्री चौपाल / जनसुनवाई में उपस्थित होकर अधोहस्तक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे :–

  1. जलदाय विभाग 2. विद्युत विभाग 3. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज 4.राजस्व 5. शिक्षा विभाग 6.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 7. पशुपालन विभाग 8. रसद विभाग 9. समाज कल्याण विभाग 10. महिला एवं बाल विकास विभाग 11. सार्वजनिक निर्माण विभाग 12. कृषि विभाग

- सभी विभाग रात्रि चौपाल / जनसुनवाई के निर्धारित दिवस पर प्रातः 10 बजे संबन्धित पंचायत में उपस्थित होकर समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे तथा उनका निस्तारण भी करेगे।
- पटवारी एवं ग्राम सेवक विभिन्न व्यक्तिगत लाभ के आवेदन पत्र भरवायेंगे, उनकी पूर्ति भी करायेंगे जिससे रात्रि चौपाल / जनसुनवाई मे स्वीकृति जारी की जा सकें।
- रात्रि चौपाल / जनसुनवाइ में प्राप्त जन समस्याओं को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसका समाधान मौके पर ही संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- रात्रि चौपाल / जनसुनवाई के दो दिन पूर्व संबंधित उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस पंचायत की क्या–क्या परिसम्पत्तियॉं है, उसकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय पर फैक्स द्वारा भिजवायेंगे तथा गांव की रूपरेखा मौके पर ही तैयार रखेगें।
- उस ग्राम की ग्राम पंचायत क्षैत्र में नियुक्त ग्राम सेवक / पटवारी / आंगनबाडी कार्यकता / महिला सुपरवाईजर / ए0एन0एम0 एवं वहॉं के विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में ब्यौरा चौपाल में प्रस्तुत करेंगे।
- उस ग्राम में विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं यथा मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना / पेंशन / महानरेगा / अन्न सुरक्षा योजना एवं बीपीएल सूची में नाम इत्यादि से लाभान्वित परिवार / व्यक्ति का ब्यौरा रखें।
- जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नही किया जा सकता उनको पंजीबद्ध करके संबंधित विभाग को कम से कम समय में निस्तारण करने हेतु पाबन्द किया जावे। इसकी सूचना चौपाल प्रभारी रखेंगे।

Jan Sunvai CEO Sir